

भोपाल सहकारी दुर्गद संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क : 0755–2478250, 51, 52, 53 फैक्स, नं- 0755–2450896

ई-मेल: gmpplant.bsdsm@gmail.com

टैंकर से दुर्गद परिवहन कार्य हेतु ई-निविदा सूचना :

निविदा संदर्भ—15381/BSDS/GMPO/54(XXII)/2019

Date : 26.12.2019

भोपाल सहकारी दुर्गद संघ मर्यादित, भोपाल को संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न दुर्गद शीतकेन्द्रों से भोपाल डेयरी संयंत्र एवं प्रदेश के अन्य डेयरी संयंत्रों से दूध प्राप्त करने अथवा Supply करने हेतु 12000 कि.ग्रा. एवं 19000 कि.ग्रा. क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स की आवश्यकता है। टैंकरों को किराये पर लगाने हेतु इच्छुक परिवहनकर्ता वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> पर अपनी निविदा दरें प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा के साथ प्रतिभूति राशि रूपये 1,00,000/- जमा करना अनिवार्य है। शर्तों का विस्तृत विवरण www.mpcdf.gov.in पर मात्र पाठन के लिये उपलब्ध है। एक अथवा समस्त निविदाये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुर्गद संघ के पास निहित रहेगा।

निविदा डाऊनलोड प्रारंभ	निविदा शुल्क	अमानत राशि (रु०)	ऑनलाइन निविदा अपलोड की अंतिम दिनांक एवं समय	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि एवं समय
27.12.2019 11.00 AM	1000 /—	1.00 लाख	16.01.2020 03.00 PM	17.01.2020 03.00 PM

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क : 0755-2478250, 51, 52, 53


फैक्स.नं 0755-2450896 ई-मेल: gimplant.bsdsm@gmail.com

– निविदा दस्तावेज –

मूल्य रूपये 1000/- मात्र

ई-निविदा बाबत्	संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न दुग्ध शीतकेन्द्रों से भोपाल डेयरी संयंत्र एवं प्रदेश के अन्य डेयरी संयंत्रों से दूध प्राप्त करने अथवा Supply कार्य हेतु 12000 कि.ग्रा एवं 19000 कि.ग्रा. क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैकर्स द्वारा दुग्ध परिवहन कार्य हेतु परिवहनकर्ताओं से दरों के आमंत्रण की निविदा सूचना ।	
निविदा संदर्भ	No : 15381/BSDS/GMPO/54(XXII)	Dt : 26.12.2019
शेड्यूल-I	कार्य का विवरण एवं रोड मिल्क टैकर की आवश्यकता संबंधी विवरण	
शेड्यूल-II	सामान्य शर्ते एवं निविदा	
शेड्यूल-III	अनुबंधित परिवहनकर्ता हेतु कार्य संचालन की आवश्यक शर्ते	
शेड्यूल-IV	तकनीकी विवरण	
शेड्यूल-V	दर प्रस्तुतीकरण पत्रक (टोल टैक्स सहित)	
प्रतिभूति राशि	Rs. 1,00,000	
निविदा शुल्क रु.	Rs. 1000/-	
ऑनलाइन निविदा दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	16.01.2020 दोपहर 03.00 बजे तक	
निविदा खोलने का समय एवं तिथि	– तकनीकी निविदा दिनांक 17.01.2020 दोपहर 03.00 बजे खोली जावेगी ।	
निविदा प्रस्तुतीकरण	<ul style="list-style-type: none"> – तकनीकी दस्तावेजों हेतु लिफाफा को एक अन्य बड़े सील बंद लिफाफे में रख कर इस लिफाफे को दिनांक 17.01.2020 दोपहर 01.30 बजे तक संघ कार्यालय में भौतिक तौर पर अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाना है । – दर प्रस्तुतीकरण केवल ऑन लाइन (on line) ही किया जाना है । 	
पत्राचार हेतु कार्यालय का पता	<p>मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेयरी प्लॉट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)</p>	

मुख्य कार्यपालन अधिकारी



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क्र : 0755–2478250,51,52,53 फैक्स,नं 0755–2450896

ई-मेल gmplant.bsdsm@gmail.com

शेड्यूल-I


संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न दुग्ध शीतकेन्द्रों से भोपाल डेयरी संयंत्र एवं प्रदेश के अन्य डेयरी संयंत्रों से दूध प्राप्त करने अथवा Supply कार्य हेतु 12000 कि.ग्रा एवं 19000 कि.ग्रा. क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स द्वारा दुग्ध परिवहन कार्य हेतु परिवहनकर्ताओं से दरों का आमंत्रण।

निविदा स्वीकृत होने पर वाहन के अनुरक्षण, डीजल, कर्मचारियों पर व्यय टोल टैक्स एवं अन्य सभी प्रकार के खर्चे परिवहनकर्ता को करने होंगे। अतः निविदाकारों द्वारा टैंकर संचालन में लगने वाले सभी व्ययों को समावेश कर रोड मिल्क टैंकर्स की क्षमता अनुरूप किराये पर लगाने हेतु केवल प्रति किलोमीटर चालन की ही दरें On Line प्रस्तुत की जाये।

रोडमिल्क टैंकर आवश्यकता संबंधी विवरण

क्रमांक	टैंकर की क्षमता	कार्य नियोजन	टैंकरों की अनुमानित मांग (संख्या)
1	12000 कि.ग्रा. (सिंगल चेंबर टैंकर)	दुग्ध शीतकेन्द्रों से भोपाल डेयरी संयंत्र एवं प्रदेश के अन्य डेयरी संयंत्रों से दूध प्राप्त करने अथवा Supply कार्य हेतु	10
2	19000 कि.ग्रा. (सिंगल चेंबर टैंकर)	दुग्ध शीतकेन्द्रों से भोपाल डेयरी संयंत्र एवं प्रदेश के अन्य डेयरी संयंत्रों से दूध प्राप्त करने अथवा Supply कार्य हेतु	20

टीप :— मॉग के अनुरूप टैंकर्स की संख्या कम या अधिक हो सकती है।



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क : 0755–2478250,51,52,53 फैक्स,नं –0755–2450896

ई-मेल: gimplant.bsdsm@gmail.com

शेड्यूल-II

दुग्ध परिवहन हेतु ई-निविदा की सामान्य शर्ते एवं निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश :

1. दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के कार्यकारिणी सदस्यों एवं कर्मचारियों के परिवार जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, भाई-बहन को निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी। अतः निविदाकार को इस बावत् पृथक से नोटराइज्ड शपथ पत्र अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसका प्रारूप संलग्न है।
2. संघ के पूर्व में प्रतिबंधित एवं ब्लैक लिस्टेड परिवहन ठेकेदार निविदा भरने हेतु पात्र नहीं होगे। प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों द्वारा ब्लैक लिस्टेड परिवहनकर्ता को भी निविदा में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
3. संघ द्वारा पूर्व में यदि परिवहनकर्ता को सेवा एवं कार्य के अनुसार असंतोषजनक पाये जाने पर निविदा अवधि के पूर्व कार्य से पृथक किया गया है, तो ऐसे परिवहनकर्ता निविदा में भाग लेने के लिए अपात्र होंगे।
4. निविदाकार के स्वयं या परिवार के नाम का वाहन होना अनिवार्य है अर्थात् निविदाकर्ता के नाम या परिवार के आश्रित सदस्य जो वयस्क हो के नाम से ही टैंकर का पंजीयन हो। वाहन के कागजात जिसका मूल दस्तावेज से परीक्षण किया जायेगा, प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा की दर हेतु प्रस्तुत भाग (तकनीकी निविदा खुलने के समय) खोली नहीं जावेगी तथा ऐसे निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जावेगी। परिवहनकर्ता को निविदा अनुबंध अवधि में भोपाल दुग्ध संघ से अनुबंधित टैंकर को विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा।
5. दर प्रस्तुतीकरण ऑनलाइन किया जाना अनिवार्य है।
6. प्रतिभूति राशि रूपये 1,00,000/- (एक लाख) मात्र Online जमा कर, की प्रति तकनीकि प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। उक्त प्रतिभूति राशि का समायोजन निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित सफल निविदाकार के लेखों में सुरक्षानिधि के रूप में समायोजित की जावेगी।
7. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में तकनीकी निविदा पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए या किसी भागीदारी की अनुपस्थिति में उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्यारनामा है। इस प्रकार उक्त व्यक्ति भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पत्र संलग्न करना होगा।
8. निविदाकार द्वारा यदि निविदा में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है, तो ऐसी दशा में निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
9. निविदा स्वीकृत होने पर परिवहन हेतु सफल निविदाकार के साथ किये गये अनुबंध की अवधि प्रथमतः दो वर्ष की होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि करने के संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेंगे। (तीन वर्षों की अवधि के बाद किसी भी दशा में समय में वृद्धि नहीं की जा सकेगी)
10. संघ को अच्छी स्थिति के नये टैंकरों की आवश्यकता है। वर्ष 2015 से पुराने वाहनों हेतु प्रस्तुत निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा।
11. निविदाकार को निर्धारित निविदा प्रपत्र में दर प्रस्तुत करना होगी इस हेतु निविदा प्रपत्र रु 1000/- ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।

12. न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार द्वारा संघ द्वारा वांछित टैकर्स उपलब्ध न कराने की दशा में प्राप्त न्यूनतम दर को आधार मानते हुये अन्य समस्त निविदाकारों से न्यूनतम दर पर टैकर्स लिये जा सकेंगे तथा न्यूनतम दर निविदाकर की भविष्य में कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
13. निविदा स्वीकृति करने के पश्चात् टैकर संचालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
14. निविदा में प्रस्तुत जानकारी किसी भी समय गलत पाई जाने पर प्रतिभूति एवं अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा।
15. सभी निविदायें गुण दोष के आधार पर या कोई भी निविदा बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
16. ऐसे परिवहनकर्ता जिनके पास वांछित क्षमता का टैकर उपलब्ध नहीं है वह नोटराइज्ड शपथपत्र संलग्न कर (एक माह के अंदर नवीन टैकर उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर) निविदा में भाग ले सकते हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी प्लॉट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)

दूरभाष क्र : 0755–2478250, 51, 52, 53 फैक्स, नं 0755–2450896
ई-मेल— gmplant.bsdsm@gmail.com

SCHEDULE - III

सफल स्वीकृत निविदाकार / परिवहनकर्ता हेतु आवश्यक शर्तें :-

1. निविदाकार अपने वाहन के अनुरक्षण, डीजल, टोल टैक्स व अन्य सभी खर्चों के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा, इस हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम इत्यादि देय नहीं होगा।
2. परिवहनकर्ता को टैंकर परिवहन हेतु आवश्यक स्टॉफ मय अधिकृत लाइसेंस के साथ रखना होगा तथा संबंधित स्टॉफ का पुलिस सत्यापन तथा लाइसेंस की प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।
3. दुग्ध संयंत्रों से समस्त शीत केंद्रों/डेयरी संयंत्रों की दूरियां सत्यापित की गई हैं, अथवा की जावेगी जिसके आधार पर ही परिवहन देयकों का कि.मी अनुसार भुगतान किया जायेगा।
4. परिवहनकर्ता द्वारा प्रदायित टैंकर में वाल्व बाक्स होना अनिवार्य है साथ ही टैंकर मेनहोल के ढक्कन के ऊपर कवर ढक्कन संघ द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार होना अनिवार्य होगा जिसमें कोई भी कमी होने पर संबंधित टैंकर को कार्य से पृथक कर दिया जावेगा।
5. परिवहनकर्ता के प्रत्येक टैंकर में दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता के व्यय पर जी.पी.एस.सिस्टम सेन्सर के साथ लगाया जावेगा। इससे टैंकर की स्थिति इंटरनेट के माध्यम से देखी जा सकेगी तथा इसे रिकार्ड किया जा सकेगा। यदि जी.पी.एस. सिस्टम/सेन्सर में परिवहनकर्ता द्वारा कोई छेड़ छाड़ की जाती है तो दुग्ध संघ द्वारा रु. 1,00,000/- की राशि पेनालटी स्वरूप वसूली जावेगी एवं दुबारा ऐसा करने पर अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात करते हुये अन्य वैधानिक कार्यवाहियों की जावेगी जिसके लिये परिवहनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त वाहनों का पंजीयन अनिवार्य होगा।
7. शीतकेंद्रों से दुग्ध टैंकर को भरकर उसका सैम्प्ल परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि के सामने लेकर तथा तौल कर अथवा सत्यापित क्षमता के आधार पर दुग्ध टैंकर को आवश्यक स्थानों में निर्धारित सील लगाकर तथा सीलों का नम्बर नोट कर एवं दुग्ध के सैम्प्ल का परीक्षण उक्त प्रतिनिधि के समक्ष करके उसे दिखाकर तदानुसार डिलेवरी चालान आदि बनाया जावेगा जिस पर सम्बंधित प्राप्तकर्ता (वाहन चालक / क्लीनर) के हस्ताक्षर होंगे तथा उसे गेट पास दिया जावेगा।

परिवहनकर्ता के स्टाफ का यह कर्तव्य होगा कि वह दूध भरे टैंकर को लेकर निकलने के पूर्व सम्पूर्ण चीजे सुनिश्चित कर उसे निर्धारित स्थान पर उसी हालत में पहुँचायें एवं उसकी दूध मात्रा, फैट एवं एस.एन.एफ में कोई अन्तर न आवे। दूध मात्रा, फैट एवं एस.एन.एफ में अंतर प्राप्त होने पर इसकी वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी। उक्त अंतर लगातार प्राप्त होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही हानि की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता से की जावेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जावेगा। नियमों का उल्लंघन एवं अन्य अनियमिताओं की दशा में संबंधित नंबर के टैंकर तथा परिवहनकर्ता दोनों को ब्लैक लिस्ट करते हुये उसके विरुद्ध थाने में एफ.आर्ड.आर. दर्ज कराई जावेगी साथ ही उसे देश प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों में भी परिवहन कार्य नहीं देने बाबत सूचना तत्काल दे दी जावेगी।

8. यदि टैंकर पर लगी सील/सीलों में कोई टेम्परिंग पाई जाती है तो दूध की मात्रा, फैट एवं एस.एन.एफ में अंतर न आने पर भी इस स्थिति में रु 50,000/- का अर्धदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
9. परिवहन निर्देशों में दूरी अनुसार अधिकतम परिवहन समय सीमा निर्धारित की गई है उससे अधिक समय में टैंकर लाने पर जहाँ न्यूनतम रु. 10,000/- का अर्धदण्ड लगाया जावेगा वही गुणवत्ता प्रभावित होने की स्थिति में हुई सम्पूर्ण क्षति की भरपाई परिवहनकर्ता के देयकों से की जाएगी।
10. दुग्ध टैंकरों के सम्पूर्ण अनुरक्षण तथा दुग्ध टैंकर के अनुरक्षण जैसे साफ सफाई, लीकेज, पेंटिंग, लाकिंग व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थित रखना आवश्यक होगा। टैंकर के अन्दर की सफाई संघ द्वारा की जावेगी।

11. परिवहन के दौरान टैंकर क्षतिग्रस्त होने पर या खराब होने पर, ओवरलोडिंग या अन्य कारणों से अनावश्यक विलम्बित होने के कारण यदि दूध की गुणवत्ता या मात्रा में कमी परिलक्षित होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा एवं समस्त क्षति का कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से किया जावेगा।
12. टैंकर फेल होने पर अन्य टैंकर की व्यवस्था कर दुग्ध का परिवहन करने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा तथा इस परिवर्तन में हुए फैट, एस,एन,एफ एवं दूध मात्रा आदि हानि की वसूली की जाएगी, इस स्थिति में परिवहनकर्ता को संघ कार्यालय से परिवर्तन करने की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
13. यदि परिवहन के दौरान टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है एवं जिसके परिणामस्वरूप दूध का नुकसान होता है तो हानि की संपूर्ण राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौत्रा की जायेगी।
14. परिवहनकर्ता स्टाफ को दुग्धालय परिसर में अच्छा आचरण एवं व्यवहार रखना होगा। किसी भी स्थिति में अभद्र आचरण दण्डनीय होगा। टैंकर एवं स्टाफ को दुग्धालय परिसर में निर्धारित स्थान पर टैंकर खाली होने तक ही रुकने की अनुमति होगी तथा टैंकर खाली होने पर तत्काल टैंकर को अपने निर्धारित स्थान हेतु रवाना होना पड़ेगा, अन्यथा प्रत्येक एक घंटे हॉलिटंग का रूपये 10,000/- अर्थदंड लगेगा जिसका मिलान सिक्योरिटी गेट के रजिस्टर से किया जायेगा। अगर रात्रि में टैंकर खाली होने की स्थिति नहीं होने पर टैंकर स्टॉफ संयंत्र परिसर के अंदर नहीं रुकेगा एवं टैंकर की चाबी सुरक्षा अधिकारी के पास जमा करनी होगी।
15. टैंकर में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का परिवहन वर्जित होगा। दुग्ध परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढाबे या मुख्य मार्ग से हटकर खड़ा नहीं होगा। अति आवश्यक होने पर मेन रोड पर ही टैंकर खड़ा किया जावेगा वह भी अधिकतम 10 मिनिट हेतु पूरे परिवहन काल में एक बार।
16. टैंकरों को क्षमता के अनुसार R.T.O से सत्यापित होना आवश्यक है। दुग्ध टैंक बदलने हेतु उसकी पूर्व अनुमति कार्यालय से लेनी होगी। किसी भी दशा में पूर्व अनुमति के बिना टैंकर का बैरल बदला नहीं जाएगा। यदि बिना पूर्व अनुमति के परिवहनकर्ता द्वारा बैरल बदला जाता है तो ऐसे परिवहनकर्ता का अनुबंध निरस्त कर उसे कार्य से पृथक कर, अपानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्ट करते हुये थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जायेगी। जिसका संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा, जो कि परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
17. परिवहन कार्य संघ द्वारा निर्धारित किए गए नियत मार्ग से ही करना होगा। अन्य मार्ग से टैंकर का आना-जाना, पाये जाने पर यह माना जावेगा कि टैंकर को दूध चोरी के उद्देश्य से मार्ग बदलकर परिवहन किया गया है अतः तदानुसार नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
18. संघ कार्यालय द्वारा टैंकरों की निगरानी हेतु गठित समिति के सदस्यों को परिवहनकर्ता के स्टॉफ द्वारा पूर्ण सहयोग देना अनिवार्य होगा।
19. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर नियुक्त कर्मचारियों की केवल भविष्य निधि अधिनियम/कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार परिवहनकर्ता को संबंधित विभाग से कोड नम्बर प्राप्त कर नियमित अंशदान जमा करना अनिवार्य होगा। अंशदान जमा न करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि अंशदान की राशि वाहन ठेकेदार के देयकों/सुरक्षानिधि से वसूल कर जमा की जावेगी जिसकी पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी। इसी प्रकार श्रम अधिनियमों के अंतर्गत समस्त श्रम अधिनियमों के नियमों का पालन करने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा। परिवहनकर्ता को वाहन पर चलने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

20. परिवहनकर्ता को वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, साथ ही संघ द्वारा निर्धारित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्ययों का वहन परिवहनकर्ता को करना होगा।
21. दुग्ध परिवहनकर्ता के द्वारा टैंकर पर निम्नानुसार लिखवाना आवश्यक होगा, नहीं लिखवाने पर संघ द्वारा लिखवाये जाने पर होने वाले समस्त व्ययों का कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से कर लिया जावेगा जो परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
- (i) टैंकर के पीछे “दुग्ध विक्रय हेतु नहीं है।”
- (ii) टैंकर के दोनों ओर “यदि इस टैंकर से मार्ग पर दूध निकालते हुए देखा जाये तो कृपया नम्बर पर सूचित करें। (नंबर टैंडर फाइल करने पर बताया जावेगा।)
22. समस्त वैधानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता द्वारा करना आवश्यक होगी।
23. नियमानुसार परिवहनकर्ता के देयक से आयकर एवं अधिभार का कटौत्रा गणनानुसार किया जावेगा। आयकर अधिकारी द्वारा कटौत्रा न करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही इसमें छूट मिलेगी।
24. स्वीकृत निविदाकार (परिवहनकर्ता) को भोपाल दुग्ध संघ के साथ रूपये 1000/- के स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा साथ ही दुग्ध संघ की सदस्यता रु. 100/- जमाकर सदस्यता प्राप्त करनी होगी, किन्तु मतदान इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।
25. डीजल की दरों में वृद्धि या कमी होने पर परिवहन दरों में समानुपातिक वृद्धि अथवा कमी की जा सकेगी। इसकी गणना निम्नानुसार की जावेगी :—
- | | | |
|---------------------|---|-------------|
| 19000 किग्रा क्षमता | — | 4.5 km/lit |
| 12000 किग्रा क्षमता | — | 6.00 km/lit |
26. परिवहनकर्ता को निर्धारित क्षमता 12000 कि.ग्रा. एवं 19000 कि.ग्रा. क्षमता के अनुरूप ही दूध परिवहन करना आवश्यक होगा। किसी भी दशा में अधिक मात्रा परिवहन किये जाने पर अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। दुग्ध संघ द्वारा आवश्यकतानुसार कम मात्रा में दूध परिवहन किये जाने पर अनुमोदित क्षमता के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
27. वाहन ठेकेदार को अपने वाहन पर सॉची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की पेंटिंग संघ द्वारा दिये गये नमूने अनुसार स्वयं के व्यय पर कराना होगी, अन्यथा संघ द्वारा लेखन कार्य कराने पर व्यय हुई राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौत्रा की जावेगी।
28. मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को यह पूर्ण अधिकार होगा कि ठेके की अवधि को एक वर्ष तक समान दर एवं शर्तों पर आपसी सहमति से बढ़ा सके, ठेके की शर्तों तथा शासकीय अधिनियमों/नियमों की अवहेलना करने पर ठेके की अवधि में किसी भी समय ठेका निरस्त कर जमा की गयी सुरक्षानिधि राजसात करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास रहेगा।
29. स्वीकृत निविदाकार को परिवहन के दौरान आवश्यकता होने पर मौखिक मांग अनुसार टैंकर समय पर उपलब्ध करवाना होगे।
30. परिवहन के दौरान संघ द्वारा गठित निगरानी समिति, अन्य व्यक्ति प्रशासन एवं पुलिस द्वारा दूध की चोरी करते पकड़ा जाता है तो आर्थिक दण्ड रु. 5,00,000/- के साथ-साथ संबंधित परिवहनकर्ता एवं उसके वाहन चालक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेगी तथा अनुबंध समाप्त कर परिवहनकर्ता को ब्लैक लिस्ट कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा संघ को हुई अन्य हानियाँ आपके देयकों से समायोजित की जायेगी।
31. परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढाबे या मुख्य मार्ग से हटकर किसी भी स्थान पर अनावश्यक खड़ा नहीं होगा तथा संघ द्वारा निर्धारित मार्ग से ही जाना होगा। यदि जी.पी.एस. लोकेशन में यह पाया जाता है कि टैंकर शंकास्पद स्थान अथवा निर्धारित मार्ग से अलग स्थान पर खड़ा है अथवा परिवहन कर रहा है तो रु 1,00,000/- का आर्थिक दंड किया जावेगा। किसी विशेष परिस्थिति में मार्ग बदलने पर उसकी सूचना संघ कार्यालय को देकर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

32. देयक का भुगतान विलंबित होने पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। परिवहनकर्ता को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक नियमित तौर पर देयक प्रस्तुत करना होंगे एवं यदि संघ की वसूली योग्य राशि निकलती है तो सात दिवस में उक्त राशि संघ कार्यालय में जमा कराई जाना होगी। देयक विलम्ब से प्रस्तुत करने एवं वसूली योग्य राशि जमा नहीं कराए जाने की स्थिति में टैंकर का संचालन रोकते हुये वाहन को संयंत्र परिसर में खड़ा रखा जावेगा तथा संघ परिसर में खड़े रखने का रु. 200/- प्रतिदिन चार्ज जमा अमानत राशि से समायोजित किया जावेगा।
33. यह कि टैंकर में सील एवं लॉक करने के सभी पार्ट्स लगे हो ताकि टैंकर दूध एवं दुग्ध पदार्थ लोड करने के पश्चात सील किया जा सके।
34. परिवहन के दौरान प्राकृतिक कारणों अथवा अन्य किसी कारण से हुये मार्ग अवरोध की दशा में परिवहनकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित द्वितीय श्रेणी शासकीय अधिकारी अथवा नजदीकी पुलिस थाने से उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर संघ में प्रस्तुत करें तथा महाप्रबंधक (सं.सं.) के निर्देशानुसार दूध को समय पर डेरी प्लांट में पहुँचाये अथवा प्राप्तकर्ता डेयरी तक पहुँचाये, यह सामयिक स्थिति पर निर्भर करेगा।
35. यह कि अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करने पर हुई हानि की राशि प्रथमतः उसके देयकों से उसके बाद जमा सुरक्षानिधि से एवं शेष बचने पर वसूली की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया के तहत की जावेगी। यह कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की लिखित पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
36. यह कि किसी भी विवाद हेतु न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।
37. यह कि अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन/संशोधन किये जाने का संपूर्ण अधिकार आपसी सहमति से मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
38. परिवहन के दौरान अनावश्यक विलंब होने पर उस ट्रिप हेतु रूपये 10,000/-का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
39. यह कि टैंकरों की माँग घटाई बढ़ाई जा सकती है ऐसी स्थिति में टैंकर मांगे जाने पर 48 घंटे के अंदर टैंकर प्रदाय करना अनिवार्य होगा। टैंकर प्रदाय न करने की स्थिति में संघ द्वारा अन्य व्यवस्था करने पर होने वाले समस्त व्यय को द्वितीय पक्ष से वसूल किये जावेगे।
40. परिवहनकर्ता को एक कांम्प्रीहेन्सिव बीमा पालिसी वाहनों हेतु लेना अनिवार्य होगी। परिवहनकर्ता का यह दायित्व होगा की आर.टी.ओ द्वारा निर्धारित टैक्स, फीस, डूयूटीज समय पर जमा करें तथा वाहन चालक के पास निर्धारित लाइसेंस होना आवश्यक है। मोटर व्हीकल ऐक्ट के अनुसार यदि कोई कमी पाई जाती है और दुर्घटना के कारण कोई नुकसान होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी ना कि दुग्ध संघ की।
41. किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद का निराकरण मध्यस्थ (Arbitrator) के द्वारा किया जावेगा जो कि संघ का अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल

SCHEDULE - IV**तकनीकी विवरण**

1. निविदाकार का नाम —
2. पूरा पता —
3. फोन नं./मोबाइल नं.
(लगातार उपयोग होने वाला) —
4. ई—मेल आईडी —
5. वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं प्रकार
(दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें) —
6. रोड मिल्क टैंकर क्षमता —
7. आयकर पैन का विवरण (छायाप्रति संलग्न करें) —
8. किसी दुग्ध संघ : द्वारा काली सूची में
नामित नहीं किया है इस सम्बन्ध में शपथ पत्र रु. 100/-
(नोटरी द्वारा सत्यापित)
9. टैंकर का नियोजन किस कार्य हेतु किया जाना है।
(दुग्ध शीतकेन्द्र से डेयरी संयंत्र एवं अन्य दुग्ध संयंत्र) —
10. सर्विस टैक्स नं. (छायाप्रति संलग्न करें) —
11. माडल तथा मेक —

निविदा फार्म में वर्णित भोपाल दुग्ध संघ के समस्त नियम व शर्तें पूर्णतः मान्य हैं।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर निविदाकार
नाम —
मोबाइल नं.—

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
डेयरी प्लॉट, हबीबगंज भोपाल – 462024 (म.प्र)
दूरभाष क : 0755–2478250,51,52,53 फेक्स,नं 0755–2450896
ई–मेल gmpplant.bsdsm@gmail.com

SCHEDULE - V

दर प्रस्तुतीकरण पत्रक

(RATES SHOULD BE SUBMITTED IN THIS FORMAT)
FINANCIAL BID

क्र.	विवरण	टैकर की क्षमता	टैकर नियोजन संख्या	दर प्रति कि.मी. (समस्त टोल टैक्स शामिल करते हुए)
1.	संघ के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न दुग्ध शीतकेन्द्रों से भोपाल डेयरी संयंत्र एवं प्रदेश के अन्य डेयरी संयंत्रों से दूध प्राप्त करने अथवा Supply कार्य हेतु 12000 कि.ग्रा एवं 19000 कि.ग्रा. क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैक्स द्वारा दुग्ध परिवहन कार्य हेतु परिवहनकर्ताओं से दरों के आमंत्रण की निविदा सूचना।	19000 कि.ग्रा. (सिंगल चैंबर टैकर)	20	
2	— “ —	12000 कि.ग्रा. (सिंगल चैंबर टैकर)	10	

नोट:- हाई स्पीड डीजल की वर्तमान दर दिनांक 16.01.2020 अनुसार परिवहन दर प्रस्तुत।

नाम —

हस्ताक्षर —

पता—

मोबाईल नंबर —

AGREEMENT FOR HIRING OF ROAD MILK TANKER FOR THE TRANSPORTATION OF MILK

THIS AGREEMENT IS MADE THE DAY _____ between Bhopal Sahakari Dugdha Sangh Maryadit, through its CHIEF EXECUTIVE OFFICER (hereinafter called, the FIRST PARTY, which expression shall, where the context be to include his successor in the office) And (herein after called the Transporter), Which expression shall, where the context so admit, includes his heirs, executors, successors and assignees on the SECOND PARTY.

WHEREAS THE Transporter has offered to provide _____ Nos. of Road Milk Tankers for the transportation of Milk on hiring basis, vide his tender offer No._____-____ Dt. after negotiations held on -----

WHEREAS Bhopal Sahakari Dugdha Sangh Maryadit, has agreed to hire Insulated Road Milk Tanker for the Transportation of Milk in the State of Madhya Pradesh, the said article from the transporter/supplier, on the approved rates, which are as following :

S.NO	Capacity	Rates within Madhya Pradesh
1.		
2.		
3.		

Now therefore, the agreement witnesses and it is hereby agreed as following.

1. The approved rates shall be valid for two years from the date of approval of the rates and agreement shall be effected from date .

In case of price revision of diesel, the rate will be revised proportionately considering number of Kilometers limit,

2. The said article shall be providing milk as per dispatch schedule.

3. The terms and conditions are agreed as per the Complete tender document.

Signature:

Signature:

IInd party

Name _____
Address _____

I st party
CEO

Bhopal Sahakari Dugdha Sangh Maryadit
Habibganj Bhopal - 462024

Witness:

1. _____
2. _____

Witness:

1. _____
2. _____

वचन –पत्र

मैं.....आत्मज.....आयु.....लगभग.....निवासी.....भोपाल
 दुर्घ संघ में.....कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हू। मैं यह वचन पत्र प्रस्तुत कर रहा हू कि
 मेरा भोपाल दुर्घ संघ के माननीय अध्यक्ष/ संचालक/ दुर्घ संघ के किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी
 से कोई संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुर्घ संघ किसी भी समय मुझे
 आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा
 इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पता

.....

सत्यापन

मैं..... उपरोक्त वर्णित वचनदाता सत्यापित करता हू कि उपरोक्त कथन
 पूर्णरूपेण सत्य होकर विश्वसनीय है।

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पता

.....

.....